न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 54/2018

UPRN180003152018

शंकर दयाल आदि बनाम कल्लू

निस्तारण प्रार्थना पत्र 23 क 1 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 धारा 151 सी०पी०सी०

दिनांक – 29/01/2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादीगण मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित।

वादीगण तर्फ प्रार्थना पत्र 23 क 1 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दौरान विचारण उक्त वाद में वादी सं० 1 शंकर दयाल का निधन दिनांक 05/04/2024 को हो चुका है। अतः वाद उपरोक्त के निस्तारण के लिए वादी सं० 1 के वारिसानों को वादी सं० 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए संशोधन किये जाने की अनुमति देने याचना की गयी है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की गयी है। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है तथा वाद के अन्तिम निस्तारण में सहायता मिलेगी। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 23 क 1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 23 क 1 स्वीकार किया जाता है। वादीगण वादपत्र में अविलम्ब प्रस्तावित संशोधन करे। पत्रावली वास्ते संशोधन/अग्रिम कार्यवाही दिनांक 05/03/2025 को पेश हो।

दिनांक – 29/01/2025

(इन्दिरा दानू)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3349

Digitally signed by INDIRA DANU
Date: 2025.01.29 16:27:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court